

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) उमरपुर

पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.**

उनवान

बजरंगपाल बनाम राजेश्वर लाल

दावा बाबत नाम डुरही 015 88 R/A

मुकदमा नम्बर :- 158 / 2021

निर्णय दिनांक :- 08.12.2021

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 08.12.2021 को श्री **राहुल सैनी आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अतिन निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - दावा जारी स्वीकार

किता जाकर वृद्धि भूमि रोधी काम डाली पन्नेखिंद के बताने 65 पर अंकित विमोडखिंद पुत्र युना के स्थान पर बजरंगपाल पुत्र युमालम अंकित किये जाने के डारेअडिये जाते हैं। तबलाहल, चूक उम्तानुसार राजेश्वर लाल के अमल दरानद को नाम डुरही के सम्बन्ध में अनिश्चय के कोर्ट के पास उपन होता है उसकी समस्त खिमेकपी वादी की होगी। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 08.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



08/12/21

(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्च

वादी	प्रतिवादी																																
<table border="1"> <tr> <td>1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प</td> <td>रूपया</td> <td>शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प</td> <td>रूपया</td> </tr> <tr> <td>2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प</td> <td></td> <td>अर्जी के लिए स्टाम्प</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प</td> <td></td> <td>प्लीडर की फीस</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.रूपये पर प्लीडर की फीस</td> <td></td> <td>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय</td> <td></td> <td>आदेशिका की तामील</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. कमिश्नर की फीस</td> <td></td> <td>कमिश्नर की फीस</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. आदेशिका की तामिल</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>जोड़</td> <td></td> <td>जोड़</td> <td></td> </tr> </table>	1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प		3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस		4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील		6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस		7. आदेशिका की तामिल				जोड़		जोड़		
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया																														
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प																															
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस																															
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय																															
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील																															
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस																															
7. आदेशिका की तामिल																																	
जोड़		जोड़																															

